लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

1038

पत्रांकः /E.E./HTIG/2018 दिनांकः 25 जनवरी, 2018

(विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र)

हाईटेक टाउनशिप सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ–सुल्तानपुर रोड पर सेक्टर–बी पाकेट–1,ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड–1 पर मेसर्स चिन्मय इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा निर्मित ग्रुप हाउसिंग भवन (सेलीब्रिटी ग्रीन) के ब्लाक– पी व एन हेतु डायरेक्टर, में मेसर्स चिन्मय इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा0लि0, श्री रवि बंसल, आर्कीटेक्ट–श्री अमित राज–सी.ए./2004/34150 एवं स्ट्रक्चर इंजीनियर–श्री एस0एन0 शरन (एम.टेक. स्ट्रक्चर) ए.आई.ई. (ए–502684/5)द्वारा दिये गये उपरोक्त प्रमाण पत्र का परिक्षण अवर अभियन्ता– श्री शशि भूषन मिश्र एवं श्री अतुल शर्मा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक–02.01.2018 को कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 की धारा–15क(2) के अनुसार निम्न शर्तो के आधार पर उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 के अनुमोदन दिनाकं–11.01.2018 के अनुसार निर्मित ग्रुप हाउसिंग भवन (सेलीब्रिटी ग्रीन) के ब्लाक– पी व एन का आंशिक पूर्णतः प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।

प्रतिबन्ध–

1. नगर निगम/रेजीडेन्ट एसोसिएशन समिति को हस्तान्तरण करने तक भवन का रख–रखाव एवं संयुक्त अवस्थापना सुविधाओं को क्रियाशील रखने कि जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
2. अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में उल्लिखित प्रतिबन्धों को सदा पालन करना होगा तथा प्रत्येक वर्ष अनापत्ति प्राप्त कर अग्निशमन उपकरण क्रियाशील रखना होगा।
3. पक्ष द्वारा अपार्टमेन्ट एक्ट का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
4. आंवटी द्वारा विकास कार्य के सम्बन्ध में कोई शिकायत, कमी या अभाव हो तो समस्त समस्याओं का निराकरण करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
5. अन्य ब्लाको का निर्माण/विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सम्पूर्ण हाउसिंग भवन का पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

24.1.18

हस्ताक्षरः .....

पदनामः .....

कार्यालय मुहरः राहुल श्रीवास्तव
अधिशासी अभियन्ता (हा0/ई0सेल)
ल0वि0प्रा0 लखनऊ